प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र—2, समुदाय केन्द्र प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक / एन०ओ०सी० / ८९६३

मेरठ दिनांक :03-11-2023

विषय:— मूर्ति देवी बालिका विद्यापीठ, मेरठ—बडौत रोड़, बिनौली जनपद बागपत को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1916/15—7—9(299)/2007 दिनांक 14—07—2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति एवं शासनादेश संख्या—2144/15—7—2020—1(34)/2020 दिनांक 07 जनवरी 2021 के क्रम में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 28—10—2023 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :—

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए

निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली / काउसिंल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान

तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था

उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकॉर्ड प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।

NOC/performa/1

(ञ) उपर्युक्त क्रम "क" से "झ" में कोई परिवर्तन / संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमित के नहीं किया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम "क" से "अ" तक के प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलॉज में सिम्मिलित

करना अनिवार्य होगा।

(ठ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।

(ड) संस्था की वार्षिक आय-व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक

वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

(ढ) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार / मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओंकार शुक्ल) संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या-8963 /2023 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।

(2) जिलाधिकारी, बागपत।

(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) / जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत।

(6) प्रबन्धक, मूर्ति देवी बालिका विद्यापीठ, मेरठ-बडौत रोड़, बिनौली जनपद बागपत।

(7) गार्ड फाईल।

(ओंकार शुक्ल) संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मण्डल, मेरिका